

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल-stp.lsg@rajasthan.gov.inवेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : ITCeLL/DLB/Online Services/2020-21/ 1225

दिनांक :- 13.07.2021

आदेश

विभाग समसंख्यक आदेश दिनांक 21.01.2021 के द्वारा राज्य में नगरीय निकाय क्षेत्र की समस्त प्रोपर्टीज को Unique Property ID प्रदान किये जाने बाबत विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रोपर्टी आई.डी. सॉफ्टवेयर के माध्यम से आई.डी. बनाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में एतद्वारा पुनः निर्देशित किया गया जाता है कि नगरीय क्षेत्र में स्थिति प्रोपर्टी (अपार्टमेन्ट/स्वतंत्र भूखण्ड) की प्रोपर्टी आई.डी बनाना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही विभाग की अन्य ऑनलाईन सेवायें यथा भवन निर्माण स्वीकृति, फायर एन.ओ.सी., नामहस्तान्तरण, यू.डी.टैक्स व ट्रेड लाईसेंस आदि समस्त के आवेदनों में संबंधित भूखण्ड/भवन की प्रोपर्टी आई.डी. भी बनवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

क्रमांक : ITCeLL/DLB/Online Services/2020-21/1226-1245

दिनांक :- 13.07.2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर निगम जयपुर (ग्रेटर/हेरिटेज)/जोधपुर (उत्तर/दक्षिण)/कोटा (उत्तर/दक्षिण)/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
4. उपनिदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर /जोधपुर /कोटा/अजमेर /उदयपुर/ भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करे।
5. आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पालिका समस्त।
6. System Analyst cum Joint Director. DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है, कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव